# प्रथम सूचना रिपोर्ट

## ( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 75/23 दिनांक 5/4/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 90 समय 6:30 PM
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 04.04.2023 समय 07:40 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.04.2023 समय करीब 04:45 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 350 किलोमीटर
   (2) पता – अनुसंधान कक्ष पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   **<u>परिवादी</u>**

   (1) नाम : – श्रीमती अकीला बेगम
   (2) पिता का नाम : – श्री निसार खान
   (3) आयु : – 52 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – पढाई
   (7) पता : **–मेवाड बीएड कॉलेज के सामने गली नं0 08, गांधीनगर जिला चित्तोडगढ ।**

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

   **1. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री बाबुलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम छायण तहसील प्रतापगढ पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ हाल प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ तथा 2. आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ पुत्र श्री रामप्रसाद बारेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मीणों का कन्थारिया तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

| कम. सं. | सम्पत्ति का प्रकार | अनुमानित मूल्य | वस्तु स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय चलन मुद्रा | 3000 रूपये | |

   **आरोपी 1. श्री रामसिंह गुर्जर उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ तथा 2. आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एव अधिकारों का दुरूपयोग कर आपसी षडयंत्र द्वारा परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम के पति के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 101/2023 में पत्रावली तैयार कर जल्द कोर्ट में प्रस्तुत करनें की एवज में परिवादिया से 10000 रूपयें की मांग कर रिश्वत राशि 3000 अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण करना**

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3000 रूपयें
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

महोदय,

निवेदन है कि आज दिनांक 03.04.2023 को समय करीब 04:06 पीएम पर श्री उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम पत्नी नासीर खान निवासी चित्तौडगढ़ द्वारा ब्यूरों की हेल्पलाईन 1064 पर उससे रिश्वत राशि मांगने की शिकायत की गई है तथा श्रीमती अकीला के मोबाईल नंबर 7023483969 देकर उससे संपर्क कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर समय करीब 04:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय पर पहूँच श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कुमार एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 को बुलाकर श्रीमती अकीला के मोबाईल नंबर एवं डिजिटल वॉइस रिकार्डर देकर निर्देश दिया कि चित्तौडगढ पहुचकर परिवादिया से मिलकर मेरी उससे वार्ता करायें तथा मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करनें की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें तथा श्री प्रदीप कुमार एवं श्री दिनेश कुमार को रवाना कर बताया कि मन् पुलिस निरीक्षक भी उनके पीछे–पीछे चित्तौडगढ पहुँच रहा हूँ। समय 05:00 पीएम पर दो स्वतंत्र गवाह चाहने हेतु सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम तहरीर जारी की जाकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से गवाह लाने हेतु श्री नन्दकिशोर एलसी को रवाना किया गया। जिसने कार्यालय में पुनः उपस्थित होकर बताया कि अवकाश होने से नगर विकास प्रन्यास का कार्यालय बंद है जिस पर श्री ओमप्रकाश जी निजी सहायक सचिव नगर विकास प्रन्यास से टेलीफोन पर वार्ता की गई तो उनके द्वारा सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से वार्ता कर स्ततंत्र गवाह भिजवानें हेतु बताया। समय करीब05:50 पीएम पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जी निवासी मकान नंबर 04, सेक्टर 05 साई बाबा मंदिर के पास उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर मोबाईल नंबर 9602185252 तथा श्री कन्हैयालाल कलाल पुत्र स्व0 श्री तुलसीराम जी निवासी बस स्टेण्ड के पास ग्राम नाई पुलिस थाना नाई जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ लिपिक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर मोबाईल नंबर 9950701356 उपस्थित हुए। जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो उनके द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात समय करीब 06:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल, श्री कन्हैयालाल, ब्यूरों टीम श्री लालसिंह हैड का0 श्री नन्दकिशोर एलसी, श्री राजेश कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटोप प्रिन्टर एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर के प्राईवेट टेक्सी वाहन से चित्तौडगढ के लिए रवाना होकर समय करीब 09:00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल, श्री कन्हैयालाल, ब्यूरों टीम श्री लालसिंह हैड का0 श्री नन्दकिशोर एलसी, श्री राजेश कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटोप प्रिन्टर एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर के प्राईवेट टेक्सी वाहन से महाराणा प्रताप सर्कल, चित्तौडगढ के पास पहुँचे तथा वाहन को साईड में लगाया। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम एवं गवाहान के भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर से चित्तौडगढ के लिए रास्तें में चल रहा था कि समय करीब 07:38 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मैं और श्री दिनेश कुमार परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम एवं उसके साथ श्री खलील अहमद के साथ मिले थे जो हमारें पास ही खडी है जिस पर श्रीमती अकीला से वार्ता की तो उनके द्वारा बताया कि उसके पति श्री नासीर खान को पुलिस थाना कोतवाली पर दर्ज मुकदमा संख्या 101/2023 में गिरफ्तार किया है जिनकी जमानत हेतु मुकदमें की फाईल तैयार कर जल्द कोर्ट में प्रस्तुत कर जमानत करवानें में सहयोग करनें की एवज में थानेदार साहब रामसिंह जी 10000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती अकीला बेगम को मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करनें हेतु कहा तो श्रीमती अकीला बेगम ने कहा कि थानेदार साहब रिश्वत मांग संबंधी वार्ता मुझसें कर लेंगे। जिस पर श्री प्रदीप कुमार से वार्ता कर उसे परिवादिया के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कहा तथा निर्देश दिया कि मन् पुलिस निरीक्षक चित्तौडगढ से कुछ

किलोमीटर की दूरी पर हूँ तथा बाद मांग सत्यापन वार्ता के श्री प्रदीप कुमार को महाराणा प्रताप सर्कल, चित्तौडगढ़ पर मिलने हेतु बताया था। इसी समय श्री प्रदीप कुमार कानि0, श्री दिनेश कुमार कानि0 एवं परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम एवं उनका बेटा श्री आफताब खान उपस्थित आये तथा मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु बताया। तत्पश्चात श्रीमती अकीला ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ0नि0 ब्यूरों उदयपुर के नाम एक लिखित प्रार्थना प्रस्तुत कि 'मैं अकीला बेगम पत्नी नासीर खान उपभोक्ता भण्डार के सामनें से0न0 05 गांधी नगर चित्तोडगढ में रहती हूँ। मेरे पति नासीर खान के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ में मुकदमा नंबर 101 दर्ज है। जिसमें कोतवाली के थानेदार साहब रामसिंह जी गुर्जर जमानत हेतु फाईल तैयार करनें की एवज में 10000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं उन्हें रिश्वत राशि नहीं देना चाहती हूँ। थानेदार साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूँ। रामसिंह जी से मेरी पुरानी कोई रूपयों की लेनदेन बाकी नहीं है। और न ही कोई दुश्मनी है। कार्यवाही करने की कृपा करें।' जिस पर श्रीमती अकीला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो स्वंतत्र गवाहों से उनकी सहमति चाही गई। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो परिवादिया ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र उसकी स्वयं की हस्तलिपि में होकर उस पर अंकित हस्ताक्षर उसी के है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सत्य है। प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वंतत्र गवाहानों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिर्काड की गई वार्ता को सुना गया तो परिवादिया श्रीमती अकीला से संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्रकरण की पत्रावली तैयार करने एवं जमानत हेतु जल्दी न्यायालय में प्रस्तुत करनें की एवज में 5000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना सत्यापित पाया गया एवं रिश्वति राशि लेकर कल सुबह 10 बजे पुलिस थाना कोतवाली पर बुलाया है। उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर चलाकर दोनो गवाहों को सुनाया गया जिन्होंने भी मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि की जिस पर यहां से उक्त पेरे की प्रिन्ट लेने हेतु परिवादियां के निवास पर रवाना हुए। समय करीब 09:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन मेवाड बीएड कॉलेज के सामने गली नंबर 08 सेक्टर 05 गांधीनगर पर परिवादिया के निवास पर पहूँचे तथा उपर्युक्त पेरे की प्रिन्ट ली जाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अब तक के हालात एवं वस्तुस्थिति से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत किया गया जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। समय 09:50 पीएम पर परिवादिया के निवास पर ही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहो तथा परिवादिया की उपस्थिति में डिजिटल वॉइस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट करा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता को सुनकर उसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री दिनेश कुमार से टंकण करवाना प्रारंभ कर समय करीब 10:30 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता पूर्ण कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को गवाहो एवं परिवादिया के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो परिवादिया ने उसमें एक आवाज स्वयं की तथा अन्य वार्ता श्री रामसिंह जी थानेदार साहब की होना बताया। वार्ता की एक मूल एवं एक डब सीडी मुर्तिब करवाई जाकर मूल सीडी पर गवाहों, परिवादिया के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "A" अंकित किया गया तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क "A" अंकित किया गया तथा थेली पर भी इनके हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादियां को 5000 रूपयें की रिश्वत राशि लेकर दिनांक 04.04.2023 को प्रातः 10 बजे पुलिस थाना कोतवाली पर बुलाया गया जाने से परिवादियां को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 04.04.2023 को प्रातः अपने निवास पर ही उपस्थित रहने हेतु एवं गोपनीयता की हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहिन एवं सीलबंद सीडी के भ0नि0 ब्यूरों उदयपुर के लिए समय करीब 10:45 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 12:45 एएम पर मय हमराहीन के भ0नि0 ब्यूरों उदयपुर एसयू उदयपुर पर पहूँचकर सीलबंद सीडी मार्क "A" प्रभारी मालखाना को सपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई तथा गवाहानो को मामलें में गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूकसत करते हुए सुबह समय 07:00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया तथा स्टाफ को भी इसी समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। डिजिटल वॉइस रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 04.04.2023 को समय करीब 07:30 एएम पर मन्

पुलिस निरीक्षक मय उपस्थित गवाह श्री मांगीलाल, श्री कन्हैयालाल एवं ब्यूरो टीम श्री लालसिंह हैड कानि0, श्री नन्दकिशोर एलसी, श्री दिनेश कुमार एलसी मय लेपटॉप प्रिन्टर, श्री राजेश कुमार आवश्यक संसाधन तथा ट्रेप बॉक्स एवं श्री प्रदीप कुमार मय फिनोफ्थेलीन शीशी के प्राईवेट टेक्सी से भ0नि0 ब्यूरो एसथू उदयपुर रवाना होकर समय 10:00 एएम पर चित्तौडगढ परिवादिया के निवास पर पहुँचे तथा परिवादिया से रिश्वत राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा तो परिवादिया द्वारा बताया कि उसके द्वारा प्रयास किया गया किन्तु थानेदार साहब द्वारा मांग की राशि की व्यवस्था न होकर केवल 3000 रूपयें की ही व्यवस्था कर सकी हूँ तथा परिवादिया ने बताया कि मैं थानेदार साहब को 3000 रूपयें लेने हेतु राजी कर लूंगी और नहीं माने तो शेष राशि बाद में देने हेतु कहुंगी। जिस पर परिवादिया से संदिग्ध लोक सेवक को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादिया श्रीमती अकीला ने अपने पास से 500–500 रूपये के 06 नोट कुल 3000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

| क.स. | नोट का प्रकार | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 RK 131010 |
| 2. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 AM 949991 |
| 3. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 DD 839903 |
| 4. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 0 HU 006274 |
| 5. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 8 KH 515534 |
| 6. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 0 NQ 908771 |

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री प्रदीप कुमार कानि0 के पास रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। श्री प्रदीप कुमार से फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादियां के मोबाईल के कवर में कुछ शैः न छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री प्रदीप कुमार की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री राजेश कुमार से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादियां को हिदायत दी गई कि आरोपी थानेदार श्री रामसिंह के रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर अपने सिर पर हाथफेर कर निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कुमार कानि0 से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादियां को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति

को छिपाते हुए परिवादिया तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादिया को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्रीमती अकीला बेगम को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर कुर्ते की जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया तथा श्री प्रदीप कुमार को फिनोफ्थेलीन की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय ग्रo निo ब्यूरों एसयू उदयपुर के लिए रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 10:45 एएम पर परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम को रिश्वत राशि 3000 रूपये के साथ डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु कर उसके बेटे श्री खलील अहम्द की मोटर साईकिल पर पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ पर जाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा परिवादिया की मोटर साईकिल के पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन के पुलिस थाना कोतवाली के बाहर पहुंचकर टैक्सी वाहन को साईड में खडा कर छुपाव हासिल कर परिवादिया के निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में खडे रहे। समय करीब 11:15 एएम पर परिवादिया बिना पूर्व निर्धारित ईशारा किये बाहर आयी जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पीछे–पीछे आने का ईशारा किया तथा वहां से रवाना होकर इस समय करीब 11:30 एएम पर डाक बंगले पर पहुँचे। जहां पहुँचनें पर परिवादियां ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादिया ने बताया कि थानेदार साहब ने रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की तथा रिश्वत राशि ग्रहण करने संबंधी कोई वार्ता नहीं की है तथा मुझे शाम को 07 बजे वापस आने को कहा है। जिस पर फिनोफ्थेलीन लगे रिश्वत राशि को एक लिफाफे में परिवादिया से ही रखवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के पास लिफाफे को सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादिया द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। बाद हिदायत परिवादीया को उसके बेटे के साथ गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय करीब 06.40 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम अपने बेटे श्री आफताब खान के साथ डाक बंगले पर उपस्थित हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के पास लिफाफे में रखी रिश्वत राशि को गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से ही निकलवाई जाकर परिवादिया के मोबाईल के कवर में रखवायी गयी। श्री मांगीलाल बुनकर के हाथो को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात पुनः परिवादियां को हिदायत दी गई कि आरोपी थानेदार श्री रामसिंह के रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर अपने सिर पर हाथफेर कर निर्धारित ईशारा करें। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादिया तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादिया को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्रीमती अकीला बेगम को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सहित रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर कुर्ते की जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय करीब 07.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीया को सुपुर्द किया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादिया को उनके साथ आये बेटे श्री आफताब खान के साथ उसकी मोटर साईकिल पर पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो टीम के प्राईवेट वाहन से परिवादीया की मोटर साईकिल के पीछे पीछे रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली के सामने परिवादिया के निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में खडे रहे। समय करीब 07:40 पीएम पर परिवादिया ने कोतवाली पुलिस थाने के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाहों एवं ब्यूरों टीम के साथ प्राईवेट टेक्सी को तेज गति से चलवाकर परिवादिया के पास

पहुँचा तो परिवादिया ने ईशारा कर थाने के अन्दर घुसते ही दांयी तरफ के कक्ष में आरोपी श्री रामसिंह का होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरों टीम के सदस्य इस ओर बने अनुसंधान कक्ष में प्रवेश किया तो कक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं होना पाया गया। जिस पर श्री दिनेश कानि. को परिवादिया से वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को देने का ईशारा किया। जिस पर श्री दिनेश ने परिवादिया से टेप रिकार्डर लेकर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात थाना परिसर में आरोपी को ढुंढने हेतु ब्यूरों टीम को निर्देशित किया गया समस्त थाना परिसर में आरोपी को ढूंढा तो वह नहीं मिला। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मेस की तरफ गया तो एक व्यक्ति बावर्दी हडबडी में मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर दौडता हुआ मोटरसाईकिल पर बैठा तथा मोटरसाईकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास करनें लगा जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बांह से पकडकर पुलिस निरीक्षक के कक्ष की तरफ लाने लगा तो आरोपी मन् पुलिस निरीक्षक से स्वयं को छुडाकर भागने का प्रयास करने लगा जिस पर ब्यूरों टीम एवं मन् पुलिस निरीक्षक ने आवश्यक बल लगाकर उसे नियंत्रित किया। आरोपी को थानाधिकारी के कक्ष के मुख्य द्वार की तरफ लाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर अपने आनें के मंतव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री बाबुलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम छायण तहसील प्रतापगढ पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ हाल प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ होना बताया। जिस पर आरोपी को परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारें में पुछा तो वह बदतमीजी करनें लगा और कहनें लगा कि मैंने कोई रूपयें नहीं लिये है और बांह छुडाकर भागनें का प्रयास करनें लगा जिस मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरों टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर रिश्वत राशि ग्रहण करनें संबंधी पुनः पुछा तो वह झुठ बोलनें लगा कि मैंने कोई रूपयें नहीं लिये है जिस पर थाने के ड्यूटी ऑफिसर श्री अंबालाल स0उ0नि0 से कार्यवाही हेतु एक कक्ष की स्वीकृति चाही गई तो उनके द्वारा सामनें ही थानाधिकारी का कक्ष खाली होना बताकर उसमें कार्यवाही हेतु स्वीकृति दी जिस पर समय करीब 08:00 पीएम पर आरोपी को थानाधिकारी के कक्ष में ले जाकर बिठाया तथा तसल्ली देकर पुछा कि परिवादिया से रिश्वत राशि ग्रहण की गई है जो कहां रखी है तो आरोपी उग्र होकर सामने आया और कहनें लगा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। जिस पर परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम ने कहा कि थानेदार साहब ने मेरे पति की फाईल तैयार कर कोर्ट में पेश करनें की एवज में कुछ देर पहले मुझसे रिश्वत राशि दोनों हाथों में लेकर इनके बेग में रखी है जिस पर आरोपी से रिश्वत राशि कहां रखी है पुछने पर अपनी वर्दी का थोंस दिखाकर कहने लगा कि आप मेरे खिलाफ झुठी कार्यवाही कर रहे हो मैनें श्रीमती अकीला से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। जिस पर आरोपी के बेग की तलाशी गवाह श्री कन्हैयालाल से लिवाई तो आरोपी के बेग से कोई रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई। जिस पर आरोपी श्री रामसिंह को पुनः पुछा गया तो उसने कहा कि मैनें रिश्वत राशि 3000 रूपयें श्रीमती अकीला से ग्रहण कर मेरे बेग के बीच की जेब में रखने के बाद उसमें से निकालकर मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त श्री देवेन्द्र कुमार को दी है जो अभी मेरे साथ ही था एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मेने उसे पुलिस थाने से बाहर भेज दिया है। जिस पर आरोपी के मोबाईल नंबर 6378357951 से उसके दोस्त श्री देवेन्द्र कुमार के मोबाईल नंबर पर 8114407697 पर आरोपी श्री रामसिंह के मोबाईल की सेटिंग के समय अनुसार समय करीब 08:04 पीएम पर मोबाईल का लाउडस्पीकर मोड ऑन करा कॉल करवाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया तो वार्ता में आरोपी ने उसके मित्र श्री देवेन्द्र को थाने पर आने हेतु कहा। कुछ ही देर में एक व्यक्ति पुलिस थाने पर उपस्थित हुआ जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ पुत्र श्री रामप्रसाद बारेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मीणों का कन्थारिया तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ होना बताया। जिसे श्री रामसिंह द्वारा ग्रहण कर दी गई रिश्वती राशि के बारें में पुछा तो उसने कहा मैंने कोई राशि नहीं ली है जिस पर श्री रामसिंह से पुछा तो उसनें कहा कि मैनें ग्रहण की राशि मेरे दोस्त श्री देवेन्द्र कुमार को ही दी है जिस पर श्री देवेन्द्र कुमार से पुनः पुछा तो वह कहने लगा कि साहब जब आप

रामसिंह को ढूंढ रहे थे तब मैं रामसिंह के पास मैस में ही बैठा था तो रामसिंह ने आपके ढूंढनें की आवाज सुनकर मुझे कहा कि एसीबी टीम आ गई है तु रूपयें लेकर भाग जा जिसके बाद रामसिंह ने मुझे 3000 रूपयें दिये जिसे मैंने अपनी जींन्स पेन्ट की पीछे बांयी जेब में रखे तथा वहां से मोटरसाईकिल से भाग गया और रामसिंह के मोबाईल से कॉल आया तो मैं यहां आया हूँ। तत्पश्चात आरोपी श्री रामसिंह तथा श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु प्राईवेट वाहन में से श्री राजेश कुमार कानि0 से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री कन्हैयालाल से निकलवाये जाकर उसमें थानाधिकारी के कक्ष में रखें पीने के पानी के केम्पर से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री कन्हैयालाल से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल मे आरोपी श्री रामसिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग झांयीदार हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH.-1 व RH -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री रामसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग झांयीदार हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH 1 व LH -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कानि. श्री राजेश कुमार से दोनों कांच के गिलासों को साबुन एवं केम्पर के साफ पानी से थानाधिकारी कक्ष के अन्दर बने बाथरूम में धुलवाया जाकर दोनो कांच के गिलास में पीने के पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री कन्हैयालाल से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग झांयीदार हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-3 व RH-4 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग झांयीदार हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-3 व LH-4 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् कानि. राजेश कुमार से दोनों कांच के गिलासों को साबुन एवं केम्पर के साफ पानी से थानाधिकारी कक्ष के अन्दर बने बाथरूम में धुलवाया जाकर एक कांच के गिलास में पीने के पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री कन्हैयालाल से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गवाह श्री कन्हैयालाल द्वारा उक्त कांच की गिलास के घोल में कपडे का फोया डूबोकर भिगाया गया तो कांच के गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा तत्पश्चात उक्त भिगोए हुए फोये को आरोपी श्री रामसिंह के बेग में बींच की जेब में घुमाया जाकर कांच के गिलास में धोया गया तो धोवन का रंग झांयीदार हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क B.-1 व B-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री राम सिंह गुर्जर का बेग बरंग नीला व काला जिसके अन्दर की जेब में रिश्वत राशि रखी गयी संबंधित बेग के अन्दर दोनो आरोपियों, गवाहों तथा परिवादियां के हस्ताक्षर करदाये जाकर वजह सबूत जब्त कर कपडे की थेली में सीलबंद कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार तथा आरोपी श्री रामसिंह से रिश्वत राशि लेकर उसके पहने हुए जींन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी होने की स्वीकारोक्ति की थी जिसकी प्रमाणिकता हेतु आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेन्ट का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु बाजार से एक पायजामा एवं टीशर्ट

खरीदकर मंगवाया गया तथा श्री देवेन्द्र कुमार की जीन्स पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर कथशुदा पायजामा पहनाया गया। एक कांच के गिलास में पीने के पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाया जाकर गवाह श्री कन्हैयालाल से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की जीन्स पेन्ट की पीछे की सांयी जेब को गवाह श्री कन्हैयालाल से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 एवं P-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार की जीन्स पेन्ट के संबंधित जेब पर दोनो आरोपियों, गवाहों तथा परिवादियां के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त कर कपडे की थैली में सीलबंद कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कानि0 श्री राजेश कुमार को आरोपी श्री रामसिंह की सुरक्षा में तैनात कर आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा जिस स्थान पर रिश्वत राशि छुपाई गई उस स्थान से रिश्वत राशि अभिग्रहण हेतु मय पुलिस निरीक्षक आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार, गवाह श्री मांगीलाल एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 के साथ रवाना होकर श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा गाईड किये अनुसार नगरपरिषद कार्यालय चित्तौड़गढ के सामनें स्थित खाली प्लॉट पर पहूचे जहां एक पत्थर को श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा हटाया गया तो 500-500 रूपयें के कुछ नोट छुपे हुए मिले जिन्हें गवाह श्री मांगीलाल से उठवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपयें के कुल 06 नोट होना पाये गये। उक्त नोटो को श्री मांगीलाल के पास रहने दिया गया तथा वहां से रवाना होकर पुन: पुलिस थाने पर उपस्थित हुआ तथा बरामद रिश्वत राशि के नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटो से मिलान गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटो का निम्नानुसार हुबहु मिलान होना पाया गया।

| क.स. | नोट का प्रकार | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 RK 131010 |
| 2. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 AM 949991 |
| 3. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 7 DD 839903 |
| 4. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 0 HU 006274 |
| 5. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 8 KH 515534 |
| 6. | 500 रूपये का एक नोट नंबर | 0 NQ 908771 |

बरामद उक्त नोटों को एक कागज की चिट लगाकर सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामसिंह के पास परिवादिया के प्रश्नगत लंबित कार्य से संबंधित प्रकरण की पत्रावली के बारें में पुछा गया तो श्री रामसिंह ने बताया कि श्रीमती अकीला बेगम के पति श्री नासीर खान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 101/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 376 एवं 506 भा0द0स0 में दर्ज है। जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। जिस पर श्री रामसिंह से पुछा की प्रकरण की पत्रावली कहा पडी है तो बताया कि थाने के अनुसंधान कक्ष में मेरे टेबल की दराज में पडी है। जिस पर आरोपी श्री रामसिंह की निशादेही से उक्त प्रकरण की पत्रावली उसकी टेबल की दराज से प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण का अनुसंधान श्री रामसिंह के जिम्मे होना पाया गया तथा डायरी संख्या 01 दिनांक 03.03.2023 को काटी हुई है तथा अंतिम पृष्ठ पर श्री नासीर खान की मेडीकल रिपोर्ट अंकित है। पत्रावली में कुल 1 से 49 तक पृष्ठ संख्या का क्रमांकन किया जाकर प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की जाकर कब्जे ब्यूरों लिया जाकर जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 10:10 पीएम पर मय पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहो तथा परिवादिया एवं आरोपियों की उपस्थिति में डिजिटल वॉइस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट करा दिनांक 04.04.2023 को समय करीब 10:45 एएम से 11:15 एएम के मध्य आरोपी श्री रामसिंह एव परिवादिया के मध्य हुई लेनदेन वार्ता प्रथम, समय करीब 07:35 से 07:40 पीएम के मध्य हुई लेनदेन वार्ता द्वितीय तथा आरोपी श्री रामसिंह एवं आरोपी

कमरे पर जाकर स्वतंत्र गवाहान आरोपी की उपस्थिति में खानातलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की। बाद कार्यवाही परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम को रूकसत दी गई तथा पुलिस थाना कोतवाली से रवाना होकर भ्रo निo ब्यूरों उदयपुर पहुचे तथा आरोपियों को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम संख्या 01 उदयपुर पर पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेसी आदेशित किया जाने से केन्द्रिय कारागार में जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

अब तक की कार्यवाही से पाया कि दिनांक 03.04.2023 को परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम पत्नी नासीर खान उम्र 50 वर्ष मेवाड बीएड कॉलेज के सामने गली नं0 08, गांधीनगर जिला चित्तौडगढ ने पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित पुलिस उपनिरीक्षक श्री रामसिंह द्वारा प्रकरण संख्या 101/2023 की पत्रावली जल्द तैयार न्यायालय में प्रस्तुत करनें की एवज में 10000 रूपयें रिश्वत राशि मांग करनें की शिकायत की गई। जिस पर नियमानुसार मांग सत्यापन करवाया गया जिसमें परिवादिया से वार्ता के दौरान आरोपी री रामसिंह 5000 रूपयें रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग करनें की पुष्टि होने पर दिनांक 04.04.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादिया 3000 रूपयें की ही व्यवस्था कर सकी। जिस पर आरोपी श्री रामसिंह पुलिस उप निरीक्षक ने परिवादिया से उसकी व्यवस्था अनुसार रिश्वत राशि 3000 रूपयें अपने हाथों से ग्रहण कर अपने बेग में रखने के पश्चात अपने मित्र श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ को दे दिये जो एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत राशि लेकर भाग गया तथा नगर परिषद कार्यालय चित्तौडगढ के सामने एक खाली प्लॉट मे पत्थर के नीचे रिश्वत राशि 3000 रूपयें को छुपा दिया। जिस पर आरोपियों से रिश्वत राशि बरामद की जाकर जब्त की गई।

इस प्रकार आरोपी 1. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री बाबुलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम छायण तहसील प्रतापगढ पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ हाल प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ तथा 2. आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ पुत्र श्री रामप्रसाद बारेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मीणों का कन्थारिया तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादिया श्रीमती अकीला बेगम के पति के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 101/2023 में पत्रावली तैयार कर जल्द कोर्ट में प्रस्तुत कर जमानत करवानें में सहायता करने की एवज में परिवादिया से 10000 रूपयें की मांग कर 5000 रूपयें लेने हेतु सहमत होकर दिनांक 04.04.2023 को परिवादियां की व्यवस्थानुसार रिश्वत राशि 3000 रूपये अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अवैध पारितोषण के रूप में षडयंत्र रचकर आरोपी रामसिंह द्वारा 3000 रूपयें रिश्वत राशि अपने हाथो से ग्रहण कर आरोपी मित्र श्री देवेन्द्र कुमार को देना जिसके द्वारा रिश्वत राशि को नगर परिषद कार्यालय चित्तौडगढ के सामने खाली प्लॉट पत्थर के नीचे छुपाना जहां से रिश्वत राशि को बरामद किया जाना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, संशोधित पीसी एक्ट 2018 एवं 120 बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अतः श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री बाबुलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम छायण तहसील प्रतापगढ पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ हाल प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ तथा 2. आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ पुत्र श्री रामप्रसाद बारेठ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मीणों का कन्थारिया तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी आईपीसी प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः आरोपियो विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तें कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री रामसिंह गुर्जर, प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौड़गढ़ एवं 2. श्री देवेन्द्र कुमार बारेठ, पटवारी पटवार मण्डल बोलों का सांवता, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 75/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.4.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस निरीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 601-05 दिनांक 5.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

5.4.23

पुलिस निरीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।